सराहनीय कार्य

इटावा पुलिस

प्रेस नोट- दिनांक 28.08.2024

मात्र 12 घण्टे के अन्दर आत्महत्या के लिये उकसाने वाले 01 अभियुक्त को इटावा पुलिस द्वारा किया गया गिरफ्तार,

अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, कानपुर एवं पुलिस उप महानिरीक्षक कानपुर परिक्षेत्र, कानपुर के निर्देशन एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री संजय कुमार के पर्यवेक्षण व अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण इटावा के नेतृत्व में थाना सैफई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 27.08.2024 को वादिनी सरोजनी पत्नी वीरेन्द्र सिंह निवासिनी ग्राम भदेई थाना सैफई जनपद इटावा द्वारा थाना सैफई पर तहरीरी सूचना दी गयी कि उसके गाँव के उपेन्द्र यादव पुत्र कमल चन्द्र 2- जितेन्द्र यादव पुत्र कमल चन्द्र 3- ज्ञानेन्द्र उर्फ रिंकू पुत्र शिवराज यादव द्वारा वादिनी के पुत्र दयाशंकर पर पैसे मांगने का दबाव बनाया और इसी से परेशान होकर उसके पुत्र , भाभी पूजा पत्नी उमाशंकर तथा भतीजी सिबी उम्र 01 वर्ष ने सल्फास की गोलियाँ खा ली जिससे उनकी मृत्यु हो गयी। **सूचना पर तत्काल थाना सैफई पर मु0अ0सं0 170/2024 धारा 108 बीएनएस व धारा 3(2)(v) SC/ST Act पंजीकृत किया गया।**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर संलिप्त अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु पुलिस टीम का गठन किया गया था।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरणः-

जनपद में अपराध एवं आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम एवं वाँछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में दिनांक 28.08.2024 को थाना सैफई पुलिस थाना क्षेत्रान्तर्गत भ्रमणशील थी इसी दौरान प्राप्त आपराधिक अभिसूचना के आधार पर **मु0अ0सं0 170/2024 से सम्बन्धित अभियुक्त ज्ञानेन्द्र उर्फ रिंकू पुत्र शिवराज यादव को मेवापुर बम्बा पुलिया के पास से समय करीब 12.40 बजे** गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. ज्ञानेन्द्र उर्फ रिंकू पुत्र शिवराज यादव निवासी ग्राम भदेई थाना सैफई जनपद इटावा **उम्र 39 वर्ष।**

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0सं0 170/2024 धारा 108 बीएनएस व धारा 3(2)(v) SC/ST Act थाना सैफई जनपद इटावा।

पुलिस टीम- निरी0 श्री अलमा अहिरवार प्रभारी थाना सैफई, उ0नि0 संजय सिंह, का0 सुमित कुमार।